न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, मुजफ्फरनगर ।
उपस्थित : अभिमन्यु, एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्याः– 191ए सन् 2015

उत्तर प्रदेश राज्य। ————————————————————अभियोजन पक्ष।

प्रति

सन्दीप पुत्र मनी राम निवासी ग्राम भन्डूर थाना सिखेड़ा, जिला मुजफफरनगर।———
——————————————————————————————अभियुक्त।

धाराः 307 सपठित धारा 34 भा0द0सं0।
थानाः छपार, मुजफफरनगर।
मु0अ0संख्याः 384/2014

<u>निर्णय</u>

पुलिस थाना छपार, जिला मुजफफरनगर द्वारा अभियुक्त सन्दीप पुत्र मनी राम एवं दो अन्य के विरूद्ध धारा 307 भा0द0सं0 के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है, किन्तु वर्तमान में अभियुक्त सन्दीप पुत्र मनी राम का विचारण किया जा रहा है।

अभियोजन कथानक के अनुसार 17.9.2014 को थानाध्यक्ष अरूण कुमार त्यागी मय हमराही कां0 1206 रजनीश, 1246 सोकेन्द्र, 1693 अमित, 920 नौशाद सरकारी जीप यू.पी. 12एजी/0086 से चालक कां0 मॉगेराम के रपट नं0 32 समय 14.43 थाने से सुरागरसी पतारसी में मामूर होकर बिजोपुरा पुलिया आया तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि पैट्रोल पम्प लूट करने वाले बदमाश मोटरसाईकिल अपाची पर आ रहे हैं, तभी क्राईम ब्रॉच के कां0 सोनू कुमार व जितेन्द्र त्यागी आ गये, जिन्हे मकसद बताया कि तभी समय करीब 16.10 बजे छपार की तरफ से तीन लड़के सफेद रंग की अपाची मोटरसाईकिल पर आते दिखायी दिये तो मुखबिर इशारा कर चला गया। मोटरसाईकिल को हमराही पुलिस बल की सहायता से रोकने का प्रयास करने पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे बाल–बाल बचे। फील्ड कौशल का परिचय देते हुए तीनो को घेरघोट कर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया तथा नाम पता पूछते हुए जामातलाशी लेने पर सन्दीप पुत्र मनीराम के हाथ से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, नाल में खोखा फॅसा, तथा पेन्ट की जेब से दो अद्द जीवित कारतूस बरामद हुए तथा सुमित पुत्र सोमपाल के बांये संडडे से एक अदद देशी तमंचा 315

बोर व दो जीवित कारतूस एवं नीशू पुत्र महन्ती के पास से एक अद्द नाजायज छुरी एवं मोटरसाईकिल यू0पी0 12ए एफ 1446 सफेद रंग चोरी की बरामद हुई। अभियुक्तगण को अपराध से अवगत कराकर, पुंलिस हिरासत में लिया गया मौके पर फर्द गिरफतारी तैयार कर, गवाहान को पढ़कर सुनाकर, गवाही के हस्ताक्षर कराकर, माल व मुलजिमान को थाने लाकर मुकदमा कायम कराया गया तथा रोजनामचा आम में इसका इन्द्राज किया गया तथा गिरफतारी की सूचना थाने जाकर इनके परिजनो को दी जायेगी।

मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संतोष कुमार गौतम के सुपुर्द की गयी, जिन्होने गवाहान के बयानात अंकित किये, नक्शानजरी घटनास्थल तैयार कर, पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए, अभियुक्तगण सन्दीप, सुमित व नीशू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 307 भा0द0सं0 न्यायालय प्रेषित किया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सन्दीप, सुमित व नीशू पर धारा 307 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त संदीप द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र 45ख पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तगण से अभियुक्त संदीप की पत्रावली पृथक करने का आदेश दिया गया। तदनुसार अभियुक्त संदीप की पत्रावली पृथक कर विचारण कार्यवाही प्रचलित की गयी। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को सिद्ध करने के लिए प्रलेखीय साक्ष्य में चिक प्राथमिकी, रोजनामचा आम, नक्शानजरी, आरोप पत्र प्रदर्श क—1 लगायत प्रदर्श क—4 को प्रस्तुत किया गया ।

मौखिक साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू01 हैड कां0 346 मंगल सैन का सशपथ बयान लेखबद्ध कराया गया । अभियुक्त की ओर से अभियोजन प्रपत्र फर्द गिरफतारी प्रदर्श क—5 की औपचारिकता स्वीकार कर लिये जाने एवं स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र 17ख दिये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से किसी अन्य साक्षी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया। अतः अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किये जाने पर अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में साक्षी को सही गवाही देना बताया और कहा कि गरीब आदमी है, उसका प्रथम अपराध

है। यह भी कहा गया कि वह शुरू से जेल में है, अब पुनः कोई अपराध नहीं करेगा, कम से कम सजा दिये जाने की याचना की। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

मैने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भलीभॉति अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सन्दीप व दो अन्य के विरूद्ध मूलतः इस आशय का आरोप विरचित किया गया है कि दिनांक 17.9.2014 को समय करीब 16.10 बजे स्थान गाम बिजोपुरा पुलिया के पास अन्तर्गत थाना छपार जिला मुजफफरनगर के क्षेत्र में उसने पुलिस पार्टी, जिसका नेतृत्व थानाध्यक्ष अरूण कुमार त्यागी कर रहे थे, पर जान से मारने की नीयत से देशी तमंचे से फायर किया, जिससे उनकी या उनमें से किसी एक की मृत्यु कारित हो सकती थी, जो कि धारा 307 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोपित आरोप को साबित करने का मूलतः भार अभियोजन पर होता है। अब प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि अभियुक्त सन्दीप के विरूद्ध आरोपित आरोप के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन अपने कथानक को कहॉ तक साबित करने में सफल रहा है?

अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन की तरफ से पी0डब्लू01 के रूप में हैड कां0 346 मंगल सैन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने सशपथ मुख्य परीक्षा में बताया कि हैड कां0 198 राजेन्द्र सिंह उसके साथ तैनात रहा है, उसका लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। साक्षी ने चिक संख्या 171/2014, मुकदमा अपराध संख्या 384/2014 धारा 307 भा0द0सं0 थाना छपार की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इसकी मुकदमा कायमी जी0डी0 संख्या 39 समय 18.15 बजे की छाया प्रति हैड कां0 राजेन्द्र सिंह के लेख, हस्ताक्षर में होना कथित करते हुए, क्रमशः प्रदर्श क—1 व प्रदर्श क—2 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने अपने साक्ष्य में आगे यह भी कथन किया है कि उपनिरीक्षक संतोष कुमार गौतम भी उसके साथ तैनात रहे हैं, उसने इनको भी लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है, उनका लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। साक्षी ने तलविदा पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 191/2015 पर उपलब्ध नक्शानजरी व आरोप पत्र को देखकर कहा कि ये दोनो प्रपत्र उपनिरीक्षक संतोष कुमार गौतम के लेख व हस्ताक्षर में है, जिनकी हू—ब—हू

छाया प्रतियॉ इस पत्रावली पर हैं, जिन्हे साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस प्रकार साक्षी का दिया गया साक्ष्य अकाट्य है।

उपरोक्त साक्षी के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त सन्दीप के विरूद्ध वादी मुकदमा थानाध्यक्ष/उपनिरीक्षक अरूण कुमार त्यागी द्वारा चिक प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है। इस प्रकार साक्षी मंगल सैन के दिये गये बयान से अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को बल मिलता है। सबसे खास बात यह है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र 17ख दिया गया है। अलावा इसके अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में भी साक्षी मंगल सैन के दिये गये बयान को सही बताया है और अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप को भी सही होना कहा है। साक्षी पी0डब्लू01 मंगल सैन का दिया गया साक्ष्य अखण्डित है। अभियुक्त की ओर से पुलिस प्रपत्र फर्द गिरफतारी प्रदर्श क–5 की प्रमाणिकता को भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार साक्षी के दिये गये सशपथ बयान, अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया जाना, अभियोजन कहानी की सत्यता को बल प्रदान करता है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त सन्दीप के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 307 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त उक्त आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है–

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संदीप को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 307 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त संदीप जेरे हिरासत अदालत हाजिर है।

(**अभिमन्यु**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुजफफरनगर।

दिनांकः 16.06.2017

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की तरफ से कहा गया कि वह गरीब व्यक्ति है, उसका प्रथम अपराध है। यह भी कहा गया कि वह प्रस्तुत मामले में शुरू से जेल में है, अब पुनः कोई अपराध नहीं करेगा। इस

प्रकार कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गई। दूसरी तरफ विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

मैने मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया है। अभियुक्त संदीप दिनांक 18.9.2014 से जेल में है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि वह पुनः कोई अपराध नहीं करेगा। अतः उसके प्रति नरमी बरतते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत होगा—

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सन्दीप को धारा 307 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करार देते हुए, दो वर्ष आठ माह के सश्रम कारावास एवं अंकन 5,000/—रूपये(पॉच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। जेल में व्यतीत की गई अवधि, सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त को सजा भुगतने हेतु उसका सजायाबी वारन्ट बनाकर जिला कारागार भेजा जाए।

(**अभिमन्यु**)
दिनांकः 16.06.2017 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या—3, मुजफफरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(**अभिमन्यु**)
दिनांकः 16.06.2017 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या—3, मुजफफरनगर।